रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिकअपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपीलीय संख्या ..... /2023

(एसएलपी (आपराधिक) संख्या 4241/2019से उत्पन्न)

सुरेंद्र सिंह - अपीलकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य - प्रतिवादी

निर्णय

एम. आर. शाह, न्यायाधीश

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, बेंच जयपुर द्वारा दिनांक 20.11.2018 को डी. बी. आपराधिक अपीलीय संख्या 818/2013में पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने प्रतिवादी-विजेंद्र सिंह द्वारा प्रस्तुत कथित अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है और भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के

लिए दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है, लेकिन भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया है, मूल शिकायतकर्ता/मुखबिर ने वर्तमान अपील दायर की है।

2. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः

2. 1 28.11.2010 को हुई एक घटना के लिए पुलिस द्वारा 01.12.2010 को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि 28 नवम्बर, 2010 को जब शिकायतकर्ता का छोटा भाई नरेन्द्र सिंह सुबह लगभग साढ़े नौ पूर्वाहन हैंडपंप से पानी भर रहा था, तो आरोपी भूपेन्द्र सिंह, विजेन्द्र सिंह और भवानी सिंह, संगीता और गुलाब कंवर ने नरेंद्र सिंह पर लाठी से हमला किया। इस घटना में नरेंद्र सिंह और भवानी सिंह बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया।भवानी सिंह की मृत्यु हो गई। प्राथमिकी दर्ज की गई जिसकी संख्या 445/2010 थी। यद्यपि प्राथमिकी में पांच व्यक्तियों के नाम थे, तथापि पुलिस ने केवल दो व्यक्तियों अर्थात् भूपेन्द्र सिंह और विजेन्द्र सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 325/34, 308/34 व 302 और वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 के तहत आरोप-पत्र दायर किया। उक्त दोनों अभियुक्तों पर उक्त अपराध के लिए विचारण किया गया। अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए

अभियोजन पक्ष ने दस गवाहों से पूछताछ की और रिकॉर्ड पर सात दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत आरोपियों के बयान दर्ज किए गए।

2.2 विचारण के दौरान अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह की मृत्यु हो गई। इस प्रकार, उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी गई। अभियोजन पक्ष ने शेष तीन अभियुक्तों के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया जो अभियोजन पक्ष से छुट गए थे। कथित आवेदन विद्वत निचली अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि, उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती पर और रिमांड पर, विद्वत ट्रायल कोर्ट ने शेष तीन अभियुक्तों पर अभियुक्त के रूप में मुकदमा चलाने का निर्देश दिया और अतिरिक्त अभियुक्त का समन आदेश पारित किया। हालांकि, शेष तीन अभियुक्त कई वर्षों से फरार थे, इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में इसमें प्रत्यर्थी जो की अभियुक्त विजेंद्र सिंह है के खिलाफ विचारण को अलग कर दिया गया। आरोप को फिर से तैयार किया गया और आरोपी विजेंद्र सिंह को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत भी अपराध के लिए आरोपित किया गया। इसके बाद, विचारण की समाप्ति पर, विद्वत निचली अदालत ने अभियुक्त विजेन्द्र सिंह को भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 147, 323, 302/149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी

ठहराया और उसे भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 323 के तहत अपराध के लिए एक वर्ष और भारतीय दंड की धारा 147 के तहत अपराध के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतने का दंड दिया।

2.3 यहां प्रत्यर्थी, जो अभियुक्त है ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त विजेन्द्र सिंह की दोषसिद्धि को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है। उसके बाद उच्च न्यायालय ने आरोपी के व्यक्तिगत कृत्य पर विचार किया और उसके बाद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सिर पर घातक प्रहार आरोपी भूपेंद्र सिंह (जो मुकदमे के दौरान मर गया) द्वारा किया गया था और आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार लाठी था उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश द्वारा अभियुक्त को धारा 323 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया है।

2. 4 भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध को गलत ठहराते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल शिकायतकर्ता/सूचना देने वाले सुरेंद्र सिंह ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

3. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय मित्र के रूप में उपस्थित हुए हैं, श्री विशाल मेघवाल, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से पेश हुए हैं और श्री अभिषेक गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी नं.2 की ओर से उपस्थित हुए हैं।

4. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने यह कहते हुए वस्तुतः गलती की है कि भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता।

4. 1 श्री दवे, विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया गया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह मत व्यक्त करते हुए वस्तुतः गलती की है कि प्राथमिकी दर्ज किए जाने के पश्चात्, पुलिस ने भी केवल दो अभियुक्तों के विरुद्ध मामला पाया और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ अपराध का संज्ञान बाद में दंड प्रक्रिया संहिता की

धारा 319 के तहत आवेदन की अस्वीकृति के बाद उच्च न्यायालय द्वारा मामले को रिमांड करने पर लिया गया, और विद्वान विचारण न्यायालय ने बाद में आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

4. 2 अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित श्री दवे विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि प्राथमिकी में पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप विशिष्ट थे। हालांकि, प्रासंगिक समय पर जांच अधिकारी ने केवल दो आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया और शेष तीन व्यक्तियों को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन को अनुमति देने के आदेश के बाद में आरोपी के रूप में रखा गया। यह निवेदन किया गया है कि इसलिए जब सभी पांच व्यक्तियों पर अलग-अलग मुकदमा चलाया गया तो इसमें पांच व्यक्तियों की संलिप्तता थी जो विधिविरुद्घ जमाव का गठन करते हैं और इसलिए भा.दं.सं. की धारा 149 लागू होगी ।

4. 3 भारवाड़ मेपा दाना और अन्य बनाम बम्बई राज्य, 1960 (2) एस. सी. आर. 172 और साथ ही मिजाजी और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश

राज्य (1959) अनुपूरक (1) एस. सी. आर. 940 वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय पर अत्यधिक निर्भरता रखी गई है।

5. राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वत वकील ने अपीलकर्ता का समर्थन किया है।

6. रॉय फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य और अन्य, (2012) 3 एससीसी 221 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए प्रत्यर्थी नं.2 की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक गुप्ता ने पुरजोर निवेदन किया है कि तथ्यों के आधार पर भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

6. 1 यह निवेदन किया जाता है कि केवल इस कारण से कि अभियुक्त अपराध के किए जाने के समय उपस्थित रहा हो और वास्तव में अपराध करने में भाग ले लिया हो किंतु उसने तब तक कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि अन्य अभियुक्त जानते हो कि सामान्य आशय को अंजाम देने में उनमें से किसी के भी मृतक की हत्या करने की संभावना है, भा.दं.सं. सं. की धारा 149 लागू नहीं होगी।

6. 2 अब जहां तक भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि का संबंध है, अभियुक्त की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार रूप से निवेदन किया गया है कि यद्यपि प्रत्यर्थी नं.2 ने भा.दं.सं. की धारा 323 के अधीन दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली अपील नहीं की है, फिर भी दोषमुक्ति के विरुद्ध राज्य द्वारा की गई अपील में, अभियुक्त यह निवेदन कर सकता है कि उसे अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता था। राजस्थान राज्य बनाम रामानंद (2017) 5 एससीसी 695 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया गया है ।

6. 3 अपने इस कथन के समर्थन में कि यहां तक कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त को भा.दं.सं. की खंड 323 के तहत अपराध के लिए भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से पेश होने विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निवेदन किए हैंः

(i) प्राथमिकी दर्ज करने में साढ़े तीन दिन की देरी हुई

(ii) गर्दन पर चोट साबित नहीं हुई है और

(iii) अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कारित चोटों पर तात्विक विरोधाभास है। वह हमें पीडब्लू 7 के रूप में जांचे गए डॉक्टर के बयान और चोट की रिपोर्ट की ओर ले गए हैं।

7. उपर्युक्त निवेदन करते हुए यह प्रार्थना की जाती है कि भा.दं.सं. की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए भी अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए।

8. हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश होने विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

9. प्रारंभ में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि विद्वत विचारण न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से भा.दं.सं. की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने देखा और माना है कि चूंकि प्रारंभिक आरोप-पत्र केवल दो व्यक्तियों / अभियुक्तों के खिलाफ दायर किया गया था और बाद में तीन व्यक्तियों को अभियुक्त के रूप में रखा गया था और उन पर अलग से मुकदमा चलाया जा रहा है, आईपीसी की धारा 149 लागू नहीं होगी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि प्राथमिकी के अनुसार भी तीन आरोपी घटना स्थल पर आए थे जब उन्होंने नरेंद्र सिंह को पानी भरते देखा था और इस प्रकार यह पांच आरोपियों की सभा नहीं थी।

10. तथापि, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर उचित रूप से विचार नहीं किया है कि रिपोर्ट/प्राथमिकी में पांच अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ विशिष्ट आरोप थे और प्राथमिकी में पांच अभियुक्त व्यक्तियों के नाम थे। हालांकि, जांच अधिकारी ने केवल दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र

तैयार किया था। शेष तीन अभियुक्त व्यक्तियों को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन आवेदन मंजूर करते समय अभियुक्त के रूप में जोड़ा गया क्योंकि वे फरार थे और इसलिए उनके विचारण को अलग करने का आदेश दिया गया और यह बताया गया कि शेष अभियुक्त के विरुद्ध विचारण अभी भी लंबित है जो भा.दं.सं. की धारा 302/149के अधीन अपराध के लिए आरोपों का सामना कर रहे हैं। उस दृष्टि से जब पांच व्यक्तियों को विशेष रूप से प्राथमिकी में नामित किया गया था और पांच व्यक्ति मुकदमे का सामना कर रहे हैं, हो सकता है अलग से, आईपीसी की धारा 149 लागू होगी। इस स्तर पर भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 149 की प्रयोज्यता पर भारवाड़ मेपा दाना (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इस न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से यह मामला था कि तेरह नामजद व्यक्तियों ने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया और जिसका सामान्य उद्देश्य तीनों भाइयों की हत्या करना था। उनमें से 12 पर सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलाया और सात को बरी कर दिया और उच्च न्यायालय ने एक को बरी कर दिया। इससे यह संख्या बढ़कर चार हो गई। अभियुक्त की ओर से मामला यह था कि चूंकि उच्च न्यायालय ने अपेक्षित संख्या पांच से कम के केवल चार व्यक्तियों को दोषी ठहराया, इसलिए उन्हें भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता

था। इस न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त दलील को नकार दिया गया। इस न्यायालय ने कहा कि केवल इसलिए कि दो अन्य व्यक्तियों को उनकी पहचान स्थापित नहीं होने की वजह से दोषी नहीं ठहराया गया, आरोपी को यह कहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वे गैरकानूनी सभा का हिस्सा नहीं थे और उन्हें भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उक्त निर्णय में यह विशेष रूप से देखा गया और अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 147 के तहत एक मामले में आवश्यक प्रश्न यह है कि भा.दं.सं. की धारा 141 में जैसा परिभाषित है क्या पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों की एक गैरकानूनी सभा थी। सभा में शामिल व्यक्तियों की पहचान व्यक्तिगत आरोपी के अपराध के निर्धारण से संबंधित मामला है, और यहां तक कि जब केवल पांच से कम व्यक्तियों को दोषी ठहराया जा सकता है, तब भी धारा 147 लागू होती है, यदि मामले में साक्ष्य पर अदालत यह निर्धारित करने में समर्थ है कि दोषी पाए गए व्यक्ति या व्यक्ति पांच या अधिक व्यक्तियों के समूह के सदस्य थे, परिचित या अजनबी, पहचाने गए या अज्ञात।

10. 1 मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त करते हुए गंभीर गलती की है कि भारतीय दंड भा.दं.सं. की खंड 149 को लागू करने के लिए कोई मामला नहीं है।

10. 2 अब, जब एक बार जब प्रत्यर्थी-अभियुक्त पांच से अधिक व्यक्तियों के विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य पाया जाता है और उसने वास्तव में अपराध करने में भाग लिया हो, हो सकता है वह घातक प्रहार किसी और अभियुक्त ने किया हो, वर्तमान मामले में भूपेन्द्र सिंह द्वारा, फिर भी भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से, प्रत्यर्थी अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। मामला निश्चित रूप से भा.दं.सं. की धारा 149 के पहले भाग के अंतर्गत आएगा। भा.दं.सं. की धारा 149 के पहले भाग के अनुसार यदि कोई अपराध उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में गैरकानूनी सभा के किसी भी सदस्य द्वारा किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के समय उसी जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है। मिजाजी और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय को भा.दं.सं. की धारा 149 और भा.दं.सं. की धारा 149 के दो भागों के बीच अंतर पर विचार करने का अवसर मिला। यह देखा गया है और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है:

> "यह धारा भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्याख्या का विषय रहा है, लेकिन प्रत्येक मामले को अपने तथ्यों के आधार पर तय किया जाना है। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के

अभियोजन में किया गया अपराध ऐसा होना चाहिए जो समान उद्देश्य को पूरा करने की दृष्टि से किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि विधिविरुद्ध जमाव के सदस्यों की बैठक के अर्थ में सामान्य उद्देश्य के बारे में पूर्व नियोजन हो, यह पर्याप्त है यदि इसे सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जाए और सभी द्वारा साझा किया जाए। मामले को पहले आदेश के अंतर्गत लाने के लिए अपराध को उस विधिविरुद्ध जमाव के सामान्य उद्देश्य से तत्काल जोड़ा जाना चाहिए जिसके अभियुक्त सदस्य थे। भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में नहीं है, फिर भी यह धारा 149 के तहत आ सकता है, यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसे सदस्यों को पता था कि अपराध किए जाने की संभावना थी। 'मैं जानता हूं'अभिव्यक्ति का अर्थ केवल एक संभावना नहीं है, जैसे कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए, यह सामान्य बोध का विषय है कि जब किसी गांव में भारी हथियारों से लैस पुरुषों का एक समूह किसी महिला को जबरन ले जाने के

लिए निकलता है, तो किसी के मारे जाने की संभावना होती है और विधिविरुद्ध जमाव के सभी सदस्यों को उस संभावना के बारे में पता होना चाहिए और धारा 149 के दूसरे भाग के तहत दोषी होगा। इसी प्रकार, यदि व्यक्तियों का एक निकाय भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए सशस्त्र हो जाता है, तो यह कहना भी समान रूप से उचित होगा कि उन्हें यह जानकारी है कि हत्या किए जाने की संभावना है यदि हथियार ले जाने और अवैध जमाव के सदस्यों के अन्य आचरण के बारे में परिस्थितियां उन सभी की ओर से इस तरह की जानकारी को स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। मुख्य न्यायाधीश की राय के लिए साबिद अली के मामले में बहुत कुछ कहा जा सकता है- (1) कि जब कोई अपराध सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया जाता है, तो यह आमतौर पर एक ऐसा अपराध होगा जिसे विधिविरुद्ध सभा के सदस्य जानते थे कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किया जा सकता है। हालांकि, यह इसके विपरीत प्रस्ताव को सच नहीं बनाता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जो दूसरे भाग के

भीतर आते हैं, लेकिन पहले भाग के भीतर नहीं। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो भागों के बीच के अंतर को अनदेखा या समाप्त नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह अवधारित किया जाना एक मुद्दा होगा कि क्या किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के प्रथम भाग के भीतर आता है या जैसा कि ऊपर बताया गया है या यह एक अपराध था जैसे कि सभा के सदस्य जानते हैं कि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है और यह दूसरे भाग के भीतर आता है।"

10. 3 अब जहां तक रॉय फर्नांडिस (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर रखी गई निर्भरता का संबंध है, जिस पर प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से भरोसा किया गया है, तथ्यों के आधार पर कथित निर्णय लागू नहीं होगा। उक्त निर्णय में इस न्यायालय ने धारा 149 आईपीसी के दूसरे भाग पर विचार किया था। इस न्यायालय ने भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 149 के पहले भाग पर विचार नहीं किया और खंड 149 के पहले भाग और दूसरे भाग के बीच अंतर पर विचार नहीं

किया, जिस पर इस न्यायालय ने मिजाजी और अन्य (पूर्वोक्त) के मामले में विचार किया था।

11. अब, जहां तक अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि उसे भारतीय दंड भा.दं.सं. की धारा 323 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था, का संबंध है, यद्यपि अभियुक्त ने आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आक्षेपित फैसले और आदेश को चुनौती नहीं दी है, हमने धारा 323 आईपीसी के तहत उसकी दोषसिद्धि के गुणदोष पर आरोपी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है।

11. 1 अभियुक्त की ओर से यह निवेदन कि तीन दिन का विलंब हुआ था, इस पर विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विस्तार से विचार किया गया है । शिकायतकर्ता सुरेंद्र सिंह द्वारा एक उचित स्पष्टीकरण दिया गया है। घटना के तुरंत बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भवानी सिंह की हालत गंभीर थी। शिकायतकर्ता ने अपने उपचार पर ध्यान केंद्रित किया।एक अन्य घायल नरेंद्र सिंह भी इलाज में व्यस्त रहा।इस प्रकार, जब विलंब को पर्याप्त रूप से और उचित रूप से समझाया गया है, तो हम पूर्वोक्त आधार पर कि प्राथमिकी दर्ज करने में 3 दिन की देरी हुई थी में अभियुक्त को संदेह का लाभ देने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

11. 2 अब जहां तक चोटों और चोटों में विरोधाभासों पर अभियुक्त की ओर से निवेदन का संबंध है, आरंभ में, यह नोट किया जाना आवश्यक है कि चश्मदीद गवाह पी डब्लू 1 और पी डब्लू 4 का और चिकित्सक पी डब्लू 7 की अभियुक्त के विरुद्ध गवाही प्रासंगिक तत्व /अभिसाक्ष्य हैं। मृतक को निम्नलिखित चोटें आई थींः

सिर के बीच में

1. 2xl/2 सेंटीमीटर खरोंच वाली चोट सर के बीच में साथ में लाल रंग के नरम थक्के और सिर की त्वचा के नीचे हेमेटोमा।

2 दाहिने सिर पर नीले रंग की सूजन 2.SxL माप की, ललाट पालि के अग्र भाग में आंतरिक निलगु ।

3. सिर के पश्चकपाल क्षेत्र पर 2 सेमी टांके का घाव। सिर के दाहिने हिस्से के पार्श्व भाग में रक्त का थक्का।

4. सामने के पार्श्व भाग में 3x2 सेंटीमीटर खरोंचनुमा चोट ।

5. lxl/2 सेमी चोट नाक पर।

6. 2xl/2 सेमी दाहिने घुटने पर खरोंच की चोट।

7. 5X 0.5 सेंटीमीटर खरोंचनुमा चोट बाएं पैर के निचले हिस्से में ।

8. 0.5X0.5 सेमी खरोंचनुमा चोट बाएं पैर के मध्य भाग में।

9.6 x l.5 सेमी गर्दन के पीछे नीला रंग का घाव। आगे विच्छेदन करते समय यह पाया गया कि बायीं मांसपेशियों में निलगु है और ग्रीवा की चौथी और पांचवीं पसलियां टूट गई थीं। उस पर सूजन थी।

10. पेट के सामने 2.5 x l.5 सेमी नाभि पक्ष पर नीले रंग का घाव।

इन सभी घावों और चोटों से डॉक्टर की राय के अनुसार मृत्यु हो गई । चिकित्सा राय और डॉक्टर के बयान के अनुसार उनकी मृत्यु चोट नं.9 गर्दन की रीढ़ की हड्डी में घाव के आघात से हुई । हालांकि चोट नं.9 अभियुक्त भूपेंद्र सिंह द्वारा कारित की गई थी जैसा कि देखा गया था और यहाँ ऊपर अभिनिर्धारित किया गया, लेकिन प्रत्यर्थी अभियुक्त विधिविरुद्ध जमाव का हिस्सा था और उसने भी अपराध कारित करने में भाग लिया था, वह भी भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है, यहां तक कि भूपेंद्र सिंह के कृत्य के लिए भी जिसने मुख्य आघात किया था ।

12. इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और भा.दं.सं. की धारा 149 के साथ पठित धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आदेश उचित नहीं है और इसे खारिज करने और अपास्त किया जाता है । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ऊपर बताए गए कारण से वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

उच्च न्यायालय द्वारा भा.दं.सं. की धारा 302 के साथ पठित धारा 149 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आक्षेपित निर्णय और आदेश इसके द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है। भा.दं.सं. की धारा 427, 323 और 302/149 के तहत अपराध के लिए प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषी ठहराने वाली विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा बहाल किया जाता है। प्रतिवादी नं.2-आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 302/149 के तहत अपराध के लिए आजीवन कारावास भुगतना होगा। प्रतिवादी नं.2 अब संबंधित प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आजीवन कारावास की शेष सजा काटने के लिए आत्मसमर्पण करे, अन्यथा, उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाएगा। तदनुसार वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है।

न्यायाधीश (एम. आर. शाह)

न्यायाधीश (सी. टी. रविकुमार)

नई दिल्ली

11 अप्रैल, 2023

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**'के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।